न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 7/2018 (225 आरटीए) श्रवण कुमार वगै. बनाम कालूराम

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00030)

1 श्रवण कुमार पुत्र श्री कालूराम,
2 ओमप्रकाश पुत्र श्री कालूराम,
3 सीमा पुत्री श्री कालूराम पत्नी श्री मोहनराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

कालूराम पुत्र श्री चुतराराम जाति जाट, निवासी ग्राम बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 11.01.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 401/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश विश्नोई एवं श्री आनंद प्रकाश।

निर्णय

दिनांक : 07.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 401/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर के समक्ष अपीलांट्स की ओर से एक वाद वास्ते घोषणा, बंटवाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया एवं वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 401/2017 इस आशय का पेश किया कि ग्राम बनाड़ की सरहद में खसरा नं. 555/2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 542/2 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त विवादित भूमि अविभाजित हिंदू परिवार की पैतृक भूमि है

7/9/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो भूमि कानाराम पुत्र श्री शिभूंराम के नाम दर्ज कर दी गई थी जिस पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर नामांतरकरण सं. 388 स्वीकृत किया गया जो मूल खसरा सं. 555 व 542 के हिस्से अनुसार तय किया गया तथा रेस्पोडेंट सं. 1 के हिस्से में खसरा नं. 552/2 व 542/2 रखा गया। अपीलांट्स का जन्म से ही विवादित भूमि में हक हिस्सा है तथा विवादित भूमि में संयुक्त रूप से अपीलांट्स 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पोडेंट विवादित भूमि को अपने हिस्से से अधिक बेचान पर उतारू है तथा अपीलांट्स को कब्जे से बेदखल करना चाहता है जिन्हें रोकने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा यह वाद बाबत घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए, बाद तामील रेस्पो. द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 11.01.2018 के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश विश्नोई तथा श्री आनंद प्रकाश ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उभयपक्षकारान में राजीनामा हो गया है कि मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का बेचान नहीं करेंगे। अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के समय जारी किए गए स्थगन आदेश के अनुसार धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है तो उभयपक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं। तदनुसार अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक रखने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की राजीनामा संबंधी कथनों एवं आपसी सहमति से मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के बेचान नहीं करने के कथन पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 प्रकरण में पिता व पुत्र व अन्य वारिसान का पैतृक भूमि से संबधित मामला है। उभयपक्षकारान में वादग्रस्त भूमि को मूलवाद के निस्तारण तक नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचने पर सहमति बनने के कारण धारा 212 के प्रार्थना पत्र को तदनुसार स्वीकार करवाना चाहते हैं। धारा 212 का उद्देश्य भी मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित करना होता है। अतः पक्षकारान में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार योग्य एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है।

7 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 निरस्त किया जाता है। राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 401/2017 अनवान श्रवण कुमार वगै. बनाम कालूराम स्वीकार किया जाता है तदनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि ग्राम बनाड़ के खसरा नं. 555/2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 542/2 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति उभयपक्षकारान बनाए रखें।

7/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

8 निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर